

तेन्दू पत्ता इकाईयों की रिजर्व प्राईस निर्धारण हेतु गठित समिति का संक्षिप्त विवरण

1.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	तेन्दू पत्ता इकाईयों की रिजर्व प्राईस निर्धारण हेतु गठित समिति पता-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाया या अन्य)	समिति
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना पर्व, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	स्थापना पर्व-1991, तेन्दू पत्ता इकाईयों के व्ययन से पूर्व निर्धारित की जाने वाली रिजर्व-प्राईस को अधिक प्रभावशाली बनाएं जाने हेतु राज्यादेश संख्या एफ 10(38) वन/69/दिनांक 30-11-1991 से रिजर्व प्राईस निर्धारण समिति का गठन किया गया। जिसमें आदेश संख्या एम 10(35)वन/89/दिनांक 31-9-1995 एवं एफ 10(1) वन/99/दिनांक 15-4-200 तथा एफ 10(06) वन/89/दिनांक 16-10-01 संशोधन किए गए। उक्त समिति के द्वारा तेन्दूपत्ता इकाईयो के व्ययन से पूर्व उनकी न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारण कर राज्य सरकार को अवगत करवाना है।
4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)	परामर्शदात्री।
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	राज्यस्तरीय-(1) प्रधान मुख्य वन राज्सव, राजस्थान, जयपुर-अध्यक्ष (2) जारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) राज. जयपुर-सदस्य (3) वित्तीय सलाहकार वन विभाग रा. जयपुर-सदस्य। (4) मुख्य वन संरक्षक तेन्दूपत्ता योजना, जयपुर-सदस्य (5) वन संरक्षक (प्रादेशिक वृत्त) सदस्य सचिव। (6) मण्डल वनअधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित वन मण्डल)-सदस्य।
6.	सम्पर्क अधिकारी का नाम	वन संरक्षक (प्रादेशिक)
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	वन संरक्षक (प्रादेशिक)
8.	बैठक की आपूर्ति	सामान्यत वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार।
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?	हाँ।
11.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें	राज्य सरकार के आदेश संख्या एक 18(38)वन/89/दिनांक 20.11.2001 में दिए गए निर्देशानुसार गोपनीय रखी जानी है अतः